मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय

क्रमांक 620-1213/1 (3)82 भोपाल, दिनांक 23 सितम्बर, 1982

प्रति,

शासन के समस्त विभाग,
समस्त संभागीय आयुक्त,
समस्त विभागाध्यक्ष,
समस्त कलेक्टर्स,
मध्यप्रदेश.

विषय.—विभागीय जांच की समाप्ति के पश्चात् बन्द लिफाफे की अनुशंसा के अनुसार कार्यवाही.

संदर्भ.—सामान्य प्रशासन विभाग का ज्ञापन क्रमांक 3-17/79/3/1, दिनांक 11 जनवरी, 1980.

उक्त संदर्भित ज्ञापन में यह बताया गया है कि यदि किसी शासकीय सेवक, जिसके विरुद्ध विभागीय जांच अपेक्षित हो या चल रही हो अथवा उसे निलंबन में रखा गया हो, को विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा पहली बार पदोन्नति के लिये उपयुक्त घोषित किया गया हो और उसे विभागीय जांच के पूर्ण होने के बाद पूर्णत: निर्दोष पाया गया हो तो उसे भूतलक्षी प्रभाव से इस विभाग के ज्ञापन क्रमांक 209/2949/1 (3) 63, दिनांक 31-1-64 एवं क्रमांक एफ. 3-29/73/3/1, दिनांक 20 मार्च, 1974 में दिये गये निर्देशों के अनुसार पदोन्नति का लाभ दिया जाना चाहिये. संदर्भित ज्ञापन दिनांक 11-1-80 में यह भी निर्देश दिये गये हैं कि ऐसे प्रकरणों में बाद के वर्ष में की गई विभागीय पदोन्नति समिति की प्रतिकूल अनुशंसाओं पर विचार नहीं किया जाना चाहिये.

2. इस संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है ऐसा शासकीय सेवक को, जिसके विरुद्ध विभागीय जांच चल रही हो और इसलिये जिससे संबंधित अनुशंसा सीलबंद लिफाफे में रखी हो, तभी पश्चातवर्ती विभागीय पदोन्नति समिति की प्रतिकूल अनुशंसाओं के बावजूद, पदोन्नति की पात्रता होगी, जबकि पूर्व की विभागीय पदोन्नति समिति की अनुशंसाओं के आधार पर पश्चात्वर्ती विभागीय पदोन्नति समिति की सिफारिश पर नई चयन सूची बनने के पहले उससे कनिष्ठ अधिकारी पदोन्नत हो जाते हैं.

3. आपसे निवेदन है कि जिन शासकीय सेवकों के मामलों में, संदर्भ में लिखित निर्देशों के अनुसार कार्य प्रणाली अपनाई जाती है उनके संबंध में निर्णय लेते समय उपरोक्त निर्देशों को ध्यान में रखा जाए.

हस्ता./-
(के. एन. श्रीवास्तव)
उपसचिव
मध्यप्रदेश शासन,
सामान्य प्रशासन विभाग.